



Learning with
DrGenius Academy

IIIrd GRADE INSTRUCTION FOR CANDIDATES



EDUCATION
SHAPES
YOUR
FUTURE



www.drgenius.academy

Contact Us :- +91 9636280355

उम्मीदवारों के लिए निर्देश**शिक्षा योग्यता****A.**

स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (चाहे किसी भी नाम से जाना जाए)

या

स्नातक या स्नातकोत्तर और बी.एड. में कम से कम 50% अंक

या

इस संबंध में समय-समय पर जारी एनसीटीई (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियमों के अनुसार कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक और 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी.एड.)।

या

कम से कम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.)

या

कम से कम 50% अंकों के साथ वरिष्ठ माध्यमिक (या इसके समकक्ष) और 4 वर्षीय बी.ए./बी.एससी.एड. या बी.ए.एड./बी.एससी.एड.

अथवा

न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा 1 वर्षीय बैचलर इन एजुकेशन (बी.एड.) (विशेष शिक्षा)

अथवा

न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अथवा समकक्ष ग्रेड तथा तीन वर्षीय एकीकृत बी.एड./एम.एड.

नोट :

1. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर न्यूनतम अंकों की शर्त उन अभ्यर्थियों के मामले में लागू नहीं होगी, जिन्होंने 29 जुलाई, 2011 से पहले प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था।
2. ऐसे सभी अभ्यर्थी, जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 29 जुलाई, 2011 अथवा उसके पश्चात प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उन्हें उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक है।

B.

1. राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2024 (लेवल-II) राजस्थान सरकार के दिनांक 16-12-2020 के आदेश द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंकों के प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी जो प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) या बी.ए.बी.एड./बी.एससी.बी.एड. हो अर्थात चार वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम की योग्यता रखने वाले किसी भी अभ्यर्थी को संबंधित विषय के साथ अर्हता परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।
3. अध्यापक स्तर II, सामान्य शिक्षा के पद के लिए सामान्य शिक्षा या दो वर्षीय डी.एल.एड. सामान्य शिक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है तथा स्तर II विशेष शिक्षा के पद के लिए बी.एड. (विशेष शिक्षा) उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

4. शिक्षाशास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री:- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त अध्यापक शिक्षाशास्त्र में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम मान्य होगा। शिक्षाशास्त्र में बी.एड. बी.एड. (विशेष शिक्षा) के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई) द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम ही मान्य होंगे।

5. विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण:- ऐसा व्यक्ति जो बी.एड. उत्तीर्ण हो। (विशेष शिक्षा) को नियुक्ति के पश्चात प्रारंभिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त 6 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6. लेवल I के पदों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के न्यूनतम प्रतिशत अंकों के मानदण्ड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग/ओबीसी/ईबीसी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया तथा विशेष योग्यजन श्रेणी एवं सामान्य श्रेणी की विधवा/परित्यक्ता महिला अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में नियमानुसार 5% अंकों की छूट दी जाएगी।

आयु

- अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से अधिक तथा 40 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

सामान्य निर्देश

मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी को अध्यापक पात्रता परीक्षा 2024 के लेवल II में निम्नानुसार न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा:-

क्रम सं.	श्रेणी	न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रतिशत	
		गैर टीएसपी	टीएसपी
1.	सामान्य/अनारक्षित	60	60
2.	अनुसूचित जनजाति (एसटी)	55	36
3.	अनुसूचित जाति (एससी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), सबसे पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)	55	
4.	सभी श्रेणियों की विधवाएं और परित्यक्त महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक	50	
5.	नियमों के अनुसार दिव्यांग (विकलांग) श्रेणी में आने वाले सभी व्यक्ति	40	
6.	सहरिया जनजाति के व्यक्ति	36 (सहरिया क्षेत्र)	